



दिनांक: 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़, लूट के मुकदमें में वांछित घायल सहित कुल 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 01 जोड़ी कुण्डल (पीली धातु), 01 देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदिया पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चेकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 26.09.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम देवला से ग्राम सूमली जाने वाली रोड सूमली चौराह के पास गस्त के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी निर्माणाधीन हाईवे के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़ा हुआ दिखायी दिया, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने के उद्देश्य से आगे बढ़ी तो पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर हड़बड़ी में मोटरसाइकिल मोड़कर तेज गति से आम के बाग की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बारिश के कारण कुछ दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई, पुलिस टीम को अपने नजदीक आते देख बदमाश ने पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान अर्जुन उर्फ कपिल पुत्र पप्पू निवासी लखनौती कलां थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया की मैं अपने एक अन्य साथी का इंतजार कर रहा था इसके पश्चात घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात निर्माणाधीन हाईवे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखायी दिया पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति (मौ0 जकी पुत्र महताब निवासी आली की चुंगी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर) को घेराबंदी कर मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 482/26 धारा 309(4) बीएनएस में फरार चल रहे वांछित अभियुक्तगण हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जोड़ी लूटे गये पीली धातु के कुंडल एवं 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त अर्जुन उर्फ कपिल एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व से करीब 07 मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 487/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अर्जुन उर्फ कपिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम लखनौती कला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर (घायल)
2. मौहम्मद जकी पुत्र महताब निवासी गली न0 3 निकट मैसूर पैलस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 01 जोड़ी कुण्डल पीली धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0 482/2026 धारा 309(4) बीएनएस थाना को0देहात)
- 01 देशी तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त अर्जुन उर्फ कपिल)-

- 1- मु0अ0सं0 259/20 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट, सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 174/20 धारा 392/411/414 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 176/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 193/20 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
- 6- मु0अ0सं0 478/23 धारा 414/420/465 भादवि थाना सदर बाजार, सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 482/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- श्री एच0एन0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 4- है0का0 870 रोबिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 5- है0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 6- है0का0 241 कपिल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 7- है0का0 1160 नितीन तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 8- का0 1501 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक- 27.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 46 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 02 शराब तस्कर अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र पुत्र कन्टू निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर व 2. रजनीश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम कुरड़ीखेड़ा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर को ग्राम सतपुरा खुशहालीपुर मार्ग पर पड़ने वाले पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 46 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का उ0प्र0 बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 162/26 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सुरेन्द्र पुत्र कन्टू निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. रजनीश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम कुरड़ीखेड़ा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 46 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का
- 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. का0 1873 विक्रान्त थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी व मिशन शक्ति एण्टीरोमियों की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 37 पाऊच टैट्रा पैक देशी शराब मार्का महबूबा उ0प्र0 बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी व मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शराब तस्कर अभियुक्त इमरोज अली पुत्र मंसूर अली निवासी ग्राम हरियांबास थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को बाबा ढाबा से आगे खजूरी अकबरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 37 पाऊच टैट्रा पैक देशी शराब मार्का महबूबा उ0प्र0 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 287/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरोज अली पुत्र मंसूर अली निवासी ग्राम हरियांबास थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 37 पाऊच टैट्रा पैक देशी शराब महबूबा मार्का उ0प्र0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अभिनव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. म0उ0नि0 रश्मि कुमारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. म0हे0का0 1054 दिव्या थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. म0रि0का0 913 अक्षि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. म0रि0का0 903 बेबी रानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस व मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50.70 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 10 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सुभान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर** को ग्राम कैलाशपुर से ग्राम उग्राहूँ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 50.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 286/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

सुभान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

50.70 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक नाजायज बरामद

अभियुक्त सुभान उपरोक्त का आपराधित इतिहास

1. मु0अ0सं0 223/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 286/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 313/11 धारा 147/323/452/504/506 भादवि0 थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 रश्मि कुमारी (मिशन शक्ति प्रभारी) थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
5. म0हे0का0 164 नीतू चौधरी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
6. का0 405 गौरव राठी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
7. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 27.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कूटरचित रॉयल्टी तैयार कर अवैध उपखनिज का परिवहन कर राजस्व को क्षति पहुँचाने वाले 01 अभियुक्त को कूटरचित रॉयल्टी सहित गिरफ्तार कर 01 वाहन ट्रक (घोड़ा) को उपखनिज सहित मौके से कब्जे में लेकर सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2026 को थाना बेहट पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **ट्रक चालक ईशाक अली पुत्र सईद निवासी गांव मदनपुरा तहसील बेहट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को कूटरचित रॉयल्टी प्रपत्र सहित गिरफ्तार कर 01 उपखनिज लदे ट्रक वाहन (घोड़ा) HR58E0997 को मौके से कब्जे में लेकर सीज किया गया। कार्यवाही के उपरान्त खान निरीक्षक श्री अभिलाष चौबे की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 392/26 धारा 318(4)/338/336(2)/340(2)/61(1)बीएनएस 3(2) पीपीडीएक्ट बनाम 1. ईशाक अली पुत्र सईद नि0 ग्रा0 मदनपुरा तहसील बेहट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर (चालक) व 2. वाहन संख्या HR58E0997 के वाहन स्वामी, 3. सिक्थोरिटी पेपर होल्डर चौधरी एसोसियेट्स पार्टनर प्रिन्स चौधरी (स्टोन क्रेशर) ग्राम बाकरपुर तहसील बेहट, 4. मुन्शी संजय ठाकुर व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उक्त ट्रक को मय उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

ईशाक अली पुत्र सईद निवासी गांव मदनपुरा तहसील बेहट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

सीज वाहन का विवरण:-

➤ 01 घोड़ा ट्रक संख्या HR58E0997

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम का विवरण:-

- 1- खान निरीक्षक श्री अभिलाष चौबे राजस्व विभाग, सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- 3- का0 1811 राहुल कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2025 को वादी श्री अजमल खान s/o श्री तनसीर खान निवासी ग्राम भाभरी थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 24.09.2025 को नौकरी दिलाने के नाम पर 01 लाख रुपये हडप लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 265/2025 धारा 318(4)/316(2)/61(2)/338/336(3)/340(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेड़ी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त फरीद पुत्र फरजद निवासी टपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को ग्राम टपरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरीद पुत्र फरजद निवासी टपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामचरण सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. का0 405 गौरव राठी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
5. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।



दिनांक 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 लोटा (तांबा), 01 कलश (तांबा) व 01 त्रिशूल (तांबा) बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री श्याम अग्रवाल पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल निवासी म0नं0 9/471 भाटों वाली गली मौहल्ला मिश्रमुरार रानी बाजार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त वंश वर्मा पुत्र दीपक वर्मा निवासी धोबी वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा मौहल्ला मिश्रमुरार स्थित मन्दिर से तांबे का लोटा, तांबे का त्रिशूल, तांबे का कलश व मन्दिर के गल्ले से पैसे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 486/26 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वंश पुत्र दीपक वर्मा उर्फ बोबी ड्राइवर निवासी धोबी वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को बाबा लाल दास रोड कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे/निशानदेही पर तांबे का लोटा, तांबे का त्रिशूल व तांबे का कलश बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वंश पुत्र दीपक वर्मा उर्फ बोबी ड्राइवर निवासी धोबी वाली गली कम्बोह कटहरा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 लोटा (तांबा धातु का)
- 01 कलश (तांबा धातु का)
- 01 त्रिशूल (तांबा धातु का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1065 अनुज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 1187 अवधेश गौतम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

घटनाओं का विवरण:- दिनांक 26.09.2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25.09.2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल एच०एफ० डिलेक्स UP11BW2784 को मदनपुरी कालोनी से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 473/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान में मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त शाकिर पुत्र कयूम निवासी कुराली थाना नागल जिला सहारनपुर हाल निवासी अम्बेहटा पीर हरिजनो का मौहल्ला थाना नकुड जिला सहारनपुर** को मण्डी समिति के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई मोटरसाइकिल एच०एफ०डिलेक्स UP11BW2784 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाकिर पुत्र कयूम निवासी कुराली थाना नागल जिला सहारनपुर हाल निवासी अम्बेहटा पीर हरिजनो का मौहल्ला थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 मोटरसाइकिल एच०एफ०डिलेक्स UP11BW2784

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. रि०का० 1245 अशुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. रि०का० 1250 अखिलेश थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का वांछित मुख्य सरगना गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही पर चोरी गये 06 टावरों बैटरी (सैल), 7000/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि 08.05.2026 को वादी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्ररूप सिंह निवासी हलालपुर चिलकाना रोड तहसील व जिला सहारनपुर की तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी के ALTIUS कम्पनी का Mobile TOWAR से बैटरी बैंक 24 सैल अमर राजा कम्पनी के 400 AH व दो सैल 600 AH जिन पर ATC Telicom सैल को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस बनाम 1. सलमान, 2. सारिक, 3. कादिर, 4. शुऐब के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. सद्दाम, 2. शमशाद, 7. फरमान, 8. अकबर व 9. विकास गर्ग का नाम प्रकाश में आया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को एसबीआई बैंक कस्बा मुजफ्फराबाद में बैंक के सामने वाले रास्ते पर टयूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर 04 अदद टावर बैटरी (थाना फतेहपुर से सम्बन्धित), 2500/- रुपये (थाना मिर्जापुर की चोरी से सम्बन्धित) व 1500/- रुपये (थाना जनकपुरी चोरी से सम्बन्धित) तथा अभियुक्त की निशानदेही पर 02 बैटरी (थाना चिलकाना से सम्बन्धित) व 3000/- रुपये (थाना को0देहात चोरी से सम्बन्धित) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। **अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग 03 दर्जन मुकदमें दर्ज हैं।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथी शुऐब, शमशाद, सलमान, सारिक तथा कादिर के साथ मिलकर थाना गागलहेडी, बेहट, चिलकाना, जनकपुरी, कोतवाली देहात आदि जगहों पर मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिहारीगढ थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 85/23 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 156/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 175/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 22/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 622/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बेहट थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 652/25 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 ए एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 165/26 धारा 305ए/317(2)/61(2) बीएनएस थाना बेहट थाना फतेहपुर सहारनपुर

10. मु0अ0सं0 93/21 धारा 147/323/353/504 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 111/19 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 220/24 धारा 305ए बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 225/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 112(2)/3(5)/303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना फतेहपुर
14. मु0अ0सं0 477/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 305ए/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
15. मु0अ0सं0 644/25 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
16. मु0अ0सं0 148/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
17. मु0अ0सं0 190/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात
18. मु0अ0सं0 109/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 124/26 धारा 303(2)/3(5) बीएनएस थाना मिर्जापुर सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 78/23 धारा 34/379/411 भादवि थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
21. मु0अ0सं0 43/16 धारा 379/411 थाना बुगावाला जिला हरिद्वार
22. मु0अ0सं0 347/26 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कैराना जिला शामिल
23. मु0अ0सं0 09/24 धारा 201/34/379 भादवि थाना काला एएमपी सिरमोर हिमाचल प्रदेश
24. मु0अ0सं0 206/23 धारा 201/34/379 भादवि थाना काला एएमपी सिरमोर हिमाचल प्रदेश
25. मु0अ0सं0 31/24 धारा 3/25 ए एक्ट , 120बी भादवि हरियाणा
26. मु0अ0सं0 115/18 धारा 379 थाना जगाधरी सिटी यमुनानगर हरियाणा
27. मु0अ0सं0 171/23 धारा 4/25 ए एक्ट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
28. मु0अ0सं0 391/24 धारा 303(2)/61 बीएनएस थाना बिलासपुर हरियाणा
29. मु0अ0सं0 175/26 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर
30. मु165 0सं0अ0/303 धारा 26(2)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट
31. मु0सं0अ0 117/331 धारा 26(4)/ए30561)2बीएनएस थाना गागलहेडी (
32. मु0अ0सं0 103/26 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
33. मु130 0सं0अ0/303 धारा 26(2)/3(5) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
34. मु163 0सं0अ0/303 धारा 26(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
35. मु0अ0सं0 347/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कैराना जिला शामिल
36. मु0अ0सं0 197/26 धारा 109(1)/303(2)317(2)/318(4)/324(2)/336(2)/61(2) बीएनएस 305ए/317(2) बीएनएस थाना बेहट थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद सिंह कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रामआसरे थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमें में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 कार/गाड़ी चार पहिया बरामद

घटना का विवरण:-

- दिनांक 24.09.2026 को वादी श्री आशीष रमन पुत्र नाथीराम निवासी न्यू लक्ष्मीपुरम पंत विहार सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त अमन चौधरी पुत्र सुनील चौधरी निवासी ग्राम नंदू आहत फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा वादी की चार पहिया गाड़ी स्विफ्ट डिजायर UP-11N-0081 को किराये पर चलाने के लिए लेना व मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 479/2026 धारा 316(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।
- दिनांक 24.09.2026 को श्री वादी अमनदीप पुत्र सोमनाथ निवासी नियर शिव मन्दिर पंजाबी बाग थाना सदर बाजार सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्त अमन चौधरी पुत्र सुनील चौधरी निवासी ग्राम नंदू आहत फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा वादी की चार पहिया गाड़ी इर्टिका UP 11 CS 9819 को किराये पर चलाने के लिए लेना व मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 480/2026 धारा 316(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त धोखाधड़ी के मुकदमों में वांछित व विवेचना से प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण

1. अमन चौधरी पुत्र सुनील चौधरी नि0 ग्राम नंदी फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. शिवराम पुत्र सहेन्द्र सिंह निवासी अनुपम विहार कालोनी दिली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 3. पंकज पुत्र अशोक कुमार नि0 हंगाबली थाना नानौता जनपद सहारनपुर को दिल्ली रोड से छिदबाना कट से न्यू आवास विकास तिराहे से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से धो तीन अदद नैक्सोन गाड़ी न0 UK08AW7279 रंग ग्रे, शिफ्ट डिजायर गाड़ी न0UP17N0081 रंग सफेद, इर्टिका न0UP11CS9819 सफेद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमों उपरोक्त में वृद्धि धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- अमन चौधरी पुत्र सुनील चौधरी नि0 ग्राम नंदी फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- शिवराम पुत्र सहेन्द्र सिंह नि0 अनुपम विहार कालोनी दिली रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- पंकज पुत्र अशोक कुमार नि0 हंगाबली थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 टाटा नक्सॉन गाड़ी न0 UK08AW7279 रंग ग्रे

- 01 शिफ्ट डिजायर गाडी UP17N0081 रंग सफेद (सम्बन्धित मु0अ0स0 479/2026 धारा 316(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)
- 01 इटिका कार UP11CS9819 सफेद रंग (सम्बन्धित मु0अ0स0 480/2026 धारा 316(2) बीएनएस सदर बाजार)

अभियुक्त अमन चौधरी का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0स0 400/20 धारा 504.506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर ।

अभियुक्त शिवराम का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

2. मु0अ0स0 142/15 धारा 420 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 850 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 565 विजय कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 40 सन्नी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
8. का0 2526 लवकेश थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
9. रि0का0 2081 मोहित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
10. रि0का0 2134 भानू प्रकाश थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 27.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेड़ी मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25.09.26 को स्कूल जाते समय अभियुक्त खुशहाल पुत्र नसीम निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर के द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 281/26 धारा 74/78(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त खुशहाल पुत्र नसीम निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर को ग्राम कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

खुशहाल पुत्र नसीम निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. म0उ0नि0 रश्मि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
2. म0का0 1089 शशिबाला थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. म0रि0का0 914 मीनू थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
4. म0रि0का0 913 अक्षी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान **01 वारंटी अभियुक्त ओमपाल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम रवासोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 6484/2022 व मु0अ0स0 254/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम चलानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर को ग्राम रवासौली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

ओमपाल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम रवासोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना बेहट, सहारनपुर
2. हे0का0 619 हरेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर